संख्या–540/9–1–14–370सा/2013

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ.प्र.,लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2014

विषयः वेतन समिति 2008 के बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा संवर्ग हेतु की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–8/2651–सा/टी.सी./बे.स./2013 दिनांक 27.08.2013 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या–4135/9–1–13–370सा/13 दिनांक 02.09.2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुकम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे.आ.2–306/दस–54 (एम)/2008 टी.सी. दिनांक–31 मई, ,2013 द्वारा संसूचित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उ.प्र. नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा संवर्ग के अर्न्तगत सहायक लेखाधिकारी पदों की वर्तमान व्यवस्था, उनके पदनाम, वेतनमान तथा संवर्गीय ढ़ांचा को तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार इस प्रतिबन्ध के अधीन पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस पुनर्गठन एवं वेतनमान संशोधन से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे एवं इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी :–

वर्तमान व्यवस्था

1–केन्द्रीयत सेवा

पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती की प्रकिया
1	2	3	4
सहायक लेखाधिकारी	14	वेतन बैण्ड–2 रू.9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4600	50 प्रतिशत सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से। अर्हता—स्नातक उपाधि। 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाकार के पदों से पदोन्नति द्वारा।

पुनर्गठित व्यवस्था

पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती की प्रकिया
1	2	3	4
सहायक लेखाधिकारी	14	वेतन बैण्ड–2 रू.9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4800	शत प्रतिशत लेखाकार के पदों से पदोन्नति द्वारा

G.0.V

2— उपर्युक्तानुसार पदों के पुनर्गठन, वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप नागर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत सामान्य जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

3— उपरोक्तानुसार पुनर्गठित संवर्गीय ढ़ाचें के पदों के लिये भर्ती के स्रोत, भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया आदि का समावेश करते हुए संशोधित सेवा नियमावली का प्रख्यापन यथाशीघ्र पृथक से किया जायेगा।

4— उक्त पुनगर्ठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—वे.आ.—2—841/दस—59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5— उपर्युक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या – वे0 आ0 —2—89/दस—2014 दिनांक— 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

सख्या— 540 (1)/9—1312 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,उ.प्र. द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1/2 को तीन—तीन प्रतियों में।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8
8. कार्मिक अनुभाग—1/2
9. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

G.0.V